

प्रेषक,

आञ्जनेय कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

प्रेष्य,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डब्ल्यू.सी.डी.सी. ललितपुर।

पत्रांक 1249 / एस.एल.डी.सी./लेखा-8(9)/2015-16 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2016
विषय:- समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रफल में संशोधन के फलस्वरूप अधिक आवंटित धनराशि का समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना अन्तर्गत जनपद ललितपुर की आई.डब्ल्यू.एम.पी.-x परियोजना का क्षेत्रफल 5350 हे० व धनराशि रू० 642.00 लाख स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष प्रारम्भिक चरण की 20 प्रतिशत धनराशि रू० 128.40 लाख अवमुक्त किया गया तथा कार्य चरण में शासन के पत्र सं०-188 (1)/85-परती-2015/एस०एल०डी०सी० दिनांक 31.03.2015 द्वारा 6.93 प्रतिशत धनराशि रू० 44.4906 लाख व पत्र सं०-1055/85-परती-2016 दिनांक 27.1.16 द्वारा कार्यचरण की 3.84 प्रतिशत धनराशि रू० 24.6528 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

आपके कार्यालय पत्र सं० 133/भू.सं.अ./स्था०/2014-15 दिनांक 01.07.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि ललितपुर आई.डब्ल्यू.एम.पी.-x परियोजना का कुल कार्ययोग्य क्षेत्रफल 5015 हे० है, तदनुसार परियोजना क्षेत्र संशोधित कराने का अनुरोध किया गया। आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को दिनांक 30.07.2015 को आयोजित एस.एल.एन.ए. की बैठक में प्रस्तुत किया गया। एस.एल.एन.ए. से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 759/एस.एल.डी.सी./1(समादेश)08 टीसी दिनांक 20.10.2015 द्वारा प्रस्ताव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ललितपुर आई.डब्ल्यू.एम.पी.-x परियोजना के 5350 हे० क्षेत्र के सापेक्ष प्रारम्भिक चरण में आवंटित धनराशि रू० 128.40 लाख तथा कार्यचरण में आवंटित धनराशि रू० 69.1434 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू० 197.5434 लाख अवमुक्त किया गया है, इसमें से रू० 192.7284 लाख डब्ल्यू.सी.डी.सी. को उपलब्ध कराया गया तथा रू० 4.815 लाख एस.एल.डी.सी. में रोका गया।

संशोधित क्षेत्र 5015 हे० के सापेक्ष आवंटन किये जाने की स्थिति में रू० 12.06804 लाख अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। इस धनराशि को कार्यचरण के कार्यमद में उपभोग करने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार क्षेत्र संशोधन के उपरान्त इस परियोजना के कार्यचरण में कुल आवंटन 12.775324 प्रतिशत होगा तथा वाटरशेड विकास कार्य मद में आवंटन 10.775324 प्रतिशत हो जायेगा।

अतएव क्षेत्र परिवर्तन के पश्चात् इस परियोजना में अवशेष/उपलब्ध धनराशि वाटरशेड विकास कार्यमद में उपभोग कराने का कष्ट करें। कार्य मदवार आवंटन के सापेक्ष संशोधित स्थिति का विवरण संलग्न प्रारूप में दर्शाया गया है।


संलग्नक-विवरण

भवदीय,

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. उप महानिदेशक (वन) भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ ब्लॉक छठा तल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/परती भूमि विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
14. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर कानपुर।
15. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
16. मुख्य वित्तीय सलाहकार, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर कानपुर।
17. उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मण्डल- झांसी।
18. भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ललितपुर-12
19. श्री वी.के. अस्थाना, लेखाकार (कैशियर), एस.एल.डी.सी. को इस आशय से कि क्षेत्र संशोधन के उपरान्त संलग्न प्रारूप के अनुसार अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू० 30150.00 (रू० तीस हजार एक सौ पचास मात्र) एस.एल.एन.ए. में अवशेष रहेगी जिसे आगामी आवंटन में समायोजित करते हुए पुनः आवंटित किया जायेगा।
20. प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर को इस निर्देश के साथ कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

